मेडिकल उपचार में गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने वाला मार्गदर्शन, जिसमें COVID-19 वैक्सीन लगाने की प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है

जनवरी 6, 2021

यह मार्गदर्शन अप्रैल 10, 2020 के इलिनॉय राज्य के नोवेल कोरोना वायरस 2019(COVID-19) के लिए चिकित्सा उपचार में गैर-भेदभाव से संबंधित मार्गदर्शन की पुष्टि करने और उसके पूरक के रूप में है। इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम (Illinois Human Rights Act) सहित संघीय और राज्य नागरिक अधिकार कानून, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के काम में भेदभाव का निषेध करते हैं और नैतिक, गैर-भेदभावपूर्ण निर्णयों के प्रतिपादन का समर्थन करते हैं। COVID-19 वैक्सीन लगाने के संदर्भ में इन सिद्धांतों के एक समान तथा और भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं।

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की टीकाकरण सलाहकार समिति (Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)) ने निम्न के आधार पर वैक्सीन के वितरण में चरणबद्ध प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं: (i) संक्रमण होने का जोखिम,
(ii) गंभीर बीमारी का खतरा, (iii) नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का जोखिम, और(iv) दूसरों को संक्रमित करने का जोखिम। इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (IDPH) पर इलिनॉय में इन चरणबद्ध प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने, सुधारने, (जैसे लागू हो), लागू करने, और उन्हें कार्यान्वित करने की जवाबदारी है। इस चरणबद्ध व्यवस्था के शीर्षक के भीतर, राज्य, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और प्रदाताओं को वैक्सीन के बारे में नैतिक, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से संवाद करना चाहिए और उसे लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए

चरणबद्ध प्राथमिकताओं में से प्रत्येक के भीतर, कुछ समुदायों को भेदभाव, पक्षपातपूर्ण निर्णय और टीकाकरण तक असमान पहुंच का अनुभव होने का खतरा है। इस तरह के समुदायों में इस मार्गदर्शन में शामिल लोग शामिल हैं - विकलांग लोग, अश्वेत लोग, सीमित अंग्रेजी दक्षता वाले लोग, और अप्रवासी - साथ ही अन्य, जैसे कि LGBTQ+ समुदाय। व्यक्ति हाशिए वाले एक से अधिक समुदाय में आ सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा में संभावित रूप से बाधाएं बढ़ सकती हैं।

निम्नलिखित उन चरणों की एक गैर-विस्तृत सूची है जो स्वास्थ्य सेवा समुदाय को भेदभाव को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिएलेनी चाहिए जिससे COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम में हाशिए वाले समुदायों की पहुंच और सार्थक भागीदारी हो। इन कदमों पर सभी हाशिए के समुदायों के लिए विचार किया जाना चाहिए, न कि विशेष रूप से केवल किसी एक के लिए।

अक्षमताओं वाले लोग:

- दुभाषिया सेवाओं की उपलब्धता सहित स्पष्ट, प्रभावी संचार सुनिश्चित करना, जो सुलभ हो और अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, और अन्य एक्सेसिबिलिटी कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, और यह सुनिश्चित करना कि सहायता करने वाले लोग, परिवार के सदस्य, और/ या अभिभावक वहां उपस्थित हों या आभासी रूप से उपलब्ध हों ताकि वे जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें।
- स्व-निर्धारण के अधिकार को मान्यता देते हुए टीकाकरण शिक्षा और वहां तक पहुंच प्रदान करना, विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए, चिकित्सा देखभाल में, टीकाकरण सहित।
- COVID-19 टीकाकरण तक पहुंच में आने वाली संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए उचित सुविधाएं देने

पर विचार करना और प्रदान करना, जैसे कि सुलभ उपकरण की कमी, सार्वजनिक सूचना या साइनेज पढ़ने में असमर्थता, और टीकाकरण स्थानों तक पहुँचने में असमर्थता।

- व्यक्तिगत मूल्यांकन करना और किसी व्यक्ति की अंतर्निहित विकलांगता से संबंधित "जीवन की गुणवत्ता" के बारे में भेदभावपूर्ण निर्णयों से बचना।

अश्वेत लोग:

- पारदर्शिता और संवाद के माध्यम से अश्वेत समुदायों में सरकारी चिकित्सा कार्यक्रमों के प्रति जो ऐतिहासिक रूप से अविश्वास है, तथा स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक और वर्तमान विषमताएँ, एवं COVID- 19 टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने में आने वाली अन्य बाधाएं स्वीकार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना।
- लोगों की बड़ी संख्या तक पहुंचने के लिए संवाद विधियों की एक श्रृंखला का उपयोग करना, जिसमें भागीदारी भी शामिल है
  निर्वाचित अधिकारियों, धार्मिक नेताओं, समुदाय-आधारित संगठनों और सेवा प्रदाताओं जैसे औपचारिक और अनौपचारिक सामुदायिक नेताओं के साथ, जो अश्वेत समुदायों में विश्वसनीय माने जाते हैं।
- COVID-19 से बहुत अधिक प्रभावित समुदायों के भीतर सेवा केन्द्रों की स्थापना करके टीकाकरण सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना।

सीमित अंग्रेजी दक्षता वाले लोग और अप्रवासी समुदाय:

- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय इस बात को समझते हैं कि टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी उनकी आव्रजन स्टेटस पर निर्भर नहीं है और यह कि टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रतिभागियों को उनकी आव्रजन स्टेटस की जानकारी या विशेष पहचान दस्तावेज प्रदान करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
- सहमति फॉर्म्स सहित अन्य दस्तावेजों का अनुवाद करके स्पष्ट, प्रभावी संवाद सुनिश्चित करना; कई भाषाओं में साइनेज प्रदान करना, और दुभाषिये उपलब्ध कराना।
- COVID-19 टीकाकरण में आने वाली संभावित बाधाओं जैसे पहचान दस्तावेजों की कमी पर विचार करना और उसे दूर करने का प्रयास करना।

प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में सहायता करने के लिए वैक्सीन से संबंधित सामग्री एक सुलभ तरीके से प्रदान करें। इसमें व्यक्ति को उसके लिए सुलभ भाषा में वैक्सीन लगाई जा रही है इस बारे में FDA फैक्ट शीट प्रदान करना शामिल है। FDA फैक्ट शीट वैक्सीन के ज्ञात और संभावित लाभों और जोखिमों की व्याख्या करता है और व्यक्ति को बताता है कि वैक्सीन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प उसके पास है। आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए स्वीकृत प्रत्येक वैक्सीन के लिए **FDA फैक्ट शीट फॉर रेसिपिएंटस एंड केयरगिवर्स (FDA's** Fact **Sheet for Recipients and Caregivers)** के अनुवाद कई भाषाओं में FDA की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अधिक दिनों (सप्ताहांत सहित) के दौरान और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और उसके बाद भी सेवाएं प्रदान करके और यह सुनिश्चित करके कि सार्वजनिक परिवहन द्वारा टीकाकरण केन्द्रों तक पहुंचना आसान हो, टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए – जो आर्थिक रूप से असुरक्षित – हैं - जो ऊपर दिए गए किसी भी समूह के या और किसी समूह के सदस्य हो सकते हैं, - उनके लिए टीकाकरण में आने वाली किसी भी प्रकार की कथित वित्तीय बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है और उन्हें यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण उनके बीमा, वित्तीय स्थिति पर या भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर नहीं है। संघीय विनियमों के अनुसार अधिकांश बीमा योजनाओं को लागत-साझा किए बिना COVID-19 टीकाकरण की लागत को कवर करने की आवश्यकता होती है।

राज्य, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक नैतिक, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से वैक्सीन के बारे में संवाद करने और उसे लगाने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु अपने प्रयासों का लगातार मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें समावेशीता की बाधाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जानकारी, सहयोग और सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों। इलिनॉय के यथासंभव

अधिकतम निवासियों के लिए COVID-19 टीकाकरण प्रक्रिया तक पूर्ण पहुंच और इसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना महामारी को समाप्त करने की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम है।